भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2747

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>निवेशकों की शिकायतों का निपटारा</u>

2747. श्री भगवंत ख्बा :

श्री पी. कुमार :

डॉ. उदित राज:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कंपनियों के स्वतंत्र तंत्र निवेशकों की शिकायतों के निपटारे से वांछित परिणाम प्राप्त ह्ए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों पर निवेशकों की शिकायतों का निपटारा नहीं करने के कारण श्रू की गई कार्रवाई का वर्ष-वार/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या लघु निवेशकों को बकाया राशि भुगतान नहीं करने के बावजूद भी कई कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में सक्रिय रूप से व्यापार कर रही हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्ज्न राम मेघवाल)

- (क), (ख) और (ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा रखे जा रहे निवेशक शिकायत डाटा के अनुसार वर्ष 2014-15 में 2414 कंपनियों और वर्ष 2015-16 में 89 कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 01.04.2016 से 28.02.2017 की अविध के दौरान 189 कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई श्रूरू की गई है।
- (घ) और (इ.): आर्थिक कार्य विभाग के अधीन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बताया है कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों की देय राशि का भुगतान न करने के कारण की गई निवेशक शिकायत मिलने पर स्क्रिप के व्यापार पर तुरंत रोक नहीं लगाई जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान 3886 प्राप्त शिकायतों में से 3364 शिकायतों का समाधान किया गया, 2015-16 में 3296 प्राप्त

शिकायतों में से 2838 शिकायतों का समाधान किया गया और वर्ष 2016-17 (दिनांक 28.02.2017 तक) 2736 प्राप्त शिकायतों में से 2459 शिकायतों का निपटान किया गया।
